न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र. केम्प भोपाल

R-1468-PB247

386

पुनरीक्षण याचिका क्रमांक-

प्रस्तुति दिनांक

पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक ..... नारायण आ. विहारीलाल कुशवाह निवासी ग्राम जिनवानिया तहसील खिरकिया जिला हरदा

बनाम

उत्तरवादी/अनावेदक ..... सीताबाई पत्नि केशव माली निवासी ग्राम चारखेडा तहसील टिमरनी जिला हरदा म.प्र.

पुनरीक्षण याचिका अर्न्तगत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता 1959 –

पुनरीक्षणकर्ता आवेदक यह पुनरीक्षण याचिका अधिनस्त न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय सिराली जिला हरदा के द्वारा अपने समक्ष लंबित राजस्व प्रकरण क्रमांक 16.अ 6/16.17 ग्राम जिनवानिया में की जा रही कब्जा दिलाये जाने संबंधि अवैधानिक कार्यवाही से पीडित एवं दुखी होकर निम्न तथ्यो एवं आधारो पर यह पुनरीक्षण याचिका श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करता है -

पुनरीक्षण के तथ्य

1. यह कि पुनरीक्षणकर्ता के विरूद्व अधिनस्त न्यायालय में उत्तरवादी के द्वारा व्यवहार न्यायालय की डिक्री के पालन में राजस्वअभिलेख में अपना नामान्तरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें अधिनस्त न्यायालय तहसीलदार महोदय के द्वारा नामान्तरण आदेश पारित किया गया किन्तु कब्जा दिये जाने के संबंध में अपने अधिनसत कर्मचारी पटवारी को किसी प्रकार से आदेशित नहीं किया गया किन्तु इस के बाबजूत भी बिना किसी आदेश एवं अधिकार के अधिनसत न्यायालय के द्वारा कब्जा दिये जाने संबंधि कार्यवाही की गई –
2. यह कि ग्राम पटवारी के द्वारा ना तो अधिनस्त न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक22.3.17 को आदेशिका में टीप किया गया और ना ही अधिनस्त न्यायालय के द्वारा पटवारी को किसी प्रकार से कोई आदेश जारी किया गया इसके बाबजूद भी मनमानी प्रक्रिया अपनाते हुए कब्जा दिलाये जाने की कार्यवाही अधिनस्त न्यायालय के निर्देशन में विधिविरूद्व तरीके ये किये जाने के कारण निम्न आधारो पर यह पुननीक्षण याचिका प्रस्तुत है .

नारायण

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1468-पीबीआर/2017 जिला हरदा नारायण विरूद्ध सीताबाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा तहसीलदार जिला हरदा के प्रकरण क्रमांक 16/अ-6/2016-17 में ग्राम जिनवानिया में की जा रही कब्जा दिलाये जाने संबंधी अवैधानिक कार्यवाही से पीडित एवं दुखी होकर म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 23-05-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर हरदा के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

30/01/19

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर हरदा को अंतरित किया जाता है। आवेदक दिनांक 25-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर हरदा के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर हरदा के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन)
सदस्य
30/01/19